

प्रश्न 1 (ब) : “भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किन्तु उसका सार एकात्मक है।” व्याख्या कीजिये।

उत्तर—संविधान को मुख्यतया दो बगों में विभाजित किया गया है—परिसंघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान में सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं जबकि परिसंघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र और राज्यों के बीच रहता है और दोनों ही सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।

“भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किन्तु उसका सार एकात्मक है।” इस कथन की विस्तार से व्याख्या करने के लिए हमें दोनों प्रकार के संविधान के लक्षणों का अवलोकन करना अनिवार्य होगा, जो कि निम्नरूपेण है—

(क) संघीय संविधान के लक्षण—एक संघात्मक संविधान में निम्नलिखित लक्षण पाये जाते हैं—

(1) शक्तियों का विभाजन—केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है।

(2) संविधान की सर्वोपरिता—संविधान सरकार के सभी अंगों—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है जिनके भीतर यह कार्य करता है।

(3) लिखित संविधान—संघात्मक संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह लिखित होता है।

(4) संविधान की परिवर्तनशीलता—सम्भवतः लिखित संविधान अनम्य होता है। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

(5) न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना, यह किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती है।

(ख) भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण—भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के साथ ही एकात्मक संविधान के निम्नलिखित लक्षण पाये जाते हैं—

1. राज्य सभा में दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करके राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद द्वारा निर्मित ऐसा कानून एक वर्ष तक लागू रह सकता है और राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर इस वर्ष की अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

1.134 उ० प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू० डि०) परीक्षा हल प्रश्न-पत्र, 2003 (मौलिक विधि)

2. राष्ट्रपति राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा करके राज्य की वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है।
3. केन्द्रीय सरकार के कतिपय मामलों के सम्बन्ध में राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गयी है और यह निर्देश राज्यों पर आबद्धकर है।
4. संसद राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है।
5. राज्यों के राज्यपालों का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।
6. राज्यपाल राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है।
7. केन्द्र अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय तथा एकात्मक संविधान दोनों के लक्षण पाये जाते हैं और इसे अर्द्ध संघीय संविधान कहा जा सकता है। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार भारत का संविधान परिस्थितियों की माँग के अनुसार एकात्मक तथा संघात्मक दोनों हो सकता है। के० सी० हीयर के अनुसार भारत का संविधान अर्द्ध संघीय है जबकि ऑस्ट्रिय के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारित किया है कि भारत का संविधान संघीय नहीं है यद्यपि इसमें कई संघीय लक्षण पाये जाते हैं।